

अध्याय-।
विहंगावलोकन

अध्याय-I: विहंगावलोकन

1.1 परिचय

इस प्रतिवेदन में राज्य सरकार के कुछ विभागों और उनके स्वायत्त निकायों के अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आए मामलों को शामिल किया गया है। इस प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को विधानमंडल के ध्यान में लाना है। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से उम्मीद है कि कार्यकारी को सुधारात्मक कार्रवाई करने में मदद मिलेगी, साथ ही ऐसी नीतियाँ और निर्देश तैयार करने में मदद मिलेगी जिससे संगठनों के वित्तीय प्रबंधन में सुधार होगा और बेहतर प्रशासन में योगदान मिलेगा।

प्रतिवेदन को तीन अध्यायों में निम्नानुसार व्यवस्थित किया गया है:

अध्याय 1 में पिछले पाँच वर्षों के व्यय की संक्षिप्त रूपरेखा के साथ लेखापरीक्षित विभागों की रूपरेखा, झारखण्ड सरकार द्वारा जुटाए गए राजस्व की प्रवृत्ति और लंबित करों की वसूली, लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकरण, लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार, योजना और लेखापरीक्षा का संचालन, विभिन्न लेखापरीक्षा परिणामों पर सरकार की प्रतिक्रिया, जैसे कि निरीक्षण प्रतिवेदन, पृथक अवलोकन/ कंडिकाएं, निष्पादन लेखापरीक्षा (नि.ले.), विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (वि.वि.अ.ले.), लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई, आदि महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकन इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल हैं।

अध्याय 2 में 'पथ कार्यों के अनुबंधों में मूल्य समायोजन का प्रबंध', 'झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) द्वारा टैरिफ, बिलिंग, राजस्व का संग्रहण और सब्सिडी प्रबंधन' तथा 'जी.एस.टी. भुगतान और दाखिल विवरणी पर विभाग की निगरानी' पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षाओं से संबंधित अवलोकन शामिल हैं।

अध्याय 3 में राज्य सरकार के पाँच विभागों के व्यय और राजस्व पर 10 अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएं शामिल हैं।

लेखापरीक्षित विभागों एवं लेखापरीक्षा क्षेत्र की रूपरेखा

। बजट के अनुसार, झारखण्ड सरकार ने अपने विभिन्न विभागों/संगठनों से संबंधित 60 अनुदानों (2021-22 के दौरान) के अंतर्गत निधियाँ जारी की एवं ₹ 31,320.36 करोड़ राजस्व जुटाए। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड के अंतर्गत लेखापरीक्षा क्षेत्र में 60 अनुदानों से संबंधित विभिन्न स्तरों की 5,812 इकाइयाँ शामिल हैं। झारखण्ड सरकार में 34 विभाग हैं जो महालेखाकार के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार में आते हैं। इनमें 76 निकाय/प्राधिकरण भी शामिल हैं, जो या तो काफी हद तक राज्य की संचित निधि से वित्तपोषित हैं अथवा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत जिनकी लेखापरीक्षा सरकार द्वारा सौंपी गई है।

II इसके अतिरिक्त, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार में झारखण्ड सरकार की सरकारी कंपनियाँ और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ हैं। इन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (एसपीएसई) को वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियों को चलाने तथा राज्य के आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए स्थापित किया गया था। यहाँ एसपीएसई में वैसी सरकारी कंपनियाँ जिनमें झारखण्ड सरकार की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी 51 प्रतिशत या उससे अधिक है तथा ऐसी सरकारी कंपनियों की सहायक कंपनियाँ शामिल हैं। झारखण्ड में कोई भी सांविधिक निगम नहीं है।

झारखण्ड में 31 मार्च 2022 तक, 31 एसपीएसई जिनमें तीन¹ निष्क्रिय एसपीएसई और एक² सरकार नियंत्रित एसपीएसई शामिल थे। कार्यरत एसपीएसई ने 31 दिसंबर 2022 तक अपने नवीनतम अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार 2021-22 के वार्षिक कारोबार (₹ 5,046.28 करोड़) में 2020-21 के वार्षिक कारोबार (₹ 5,042.66 करोड़) की तुलना में 0.07 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। वार्षिक कारोबार वर्ष 2021-22 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 1.39 प्रतिशत (₹ 3,63,085 करोड़) के बराबर था। उनके नवीनतम अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार, कार्यरत एसपीएसई को 2021-22 के दौरान ₹ 2,682.45 करोड़ का घाटा हुआ।

यहाँ तीन निष्क्रिय एसपीएसई हैं, जिनमें ₹ 48.99 करोड़ का निवेश है, पूंजी (₹ 1.10 करोड़) और दीर्घकालिक ऋण (₹ 47.89 करोड़) जो निष्क्रिय निवेश का गठन करते हैं क्योंकि एसपीएसई राज्य की आर्थिक विकास में योगदान नहीं दे रहे हैं। हालाँकि, दो एसपीएसई को खत्म करने की प्रक्रिया की शुरुआत उनके बोर्ड³ द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है।

महालेखाकार के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले विभागों और स्वायत्त निकायों/ प्राधिकरणों/कंपनियों की सूची **परिशिष्ट-1** में दर्शाई गई है।

III महालेखाकार के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान प्रमुख विभागों में व्यय की प्रवृत्ति **तालिका 1.1** में दर्शाई गई है।

¹ करणपुरा एनर्जी लिमिटेड (केईएल), पतरातू एनर्जी लिमिटेड (पीईएल) और झारबिहार कोलियरी लिमिटेड (जेसीएल)।

² राँची स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

³ केईएल: 5^{वाँ} एजीएम (15 सितंबर 2017), जेसीएल: 15^{वाँ} बैठक (15 मई 2016) और 16^{वाँ} बैठक (2 फरवरी 2018)।

तालिका 1.1: वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 100 करोड़ से अधिक वार्षिक व्यय वाले विभागों के व्यय की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विभाग का नाम	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	वित्त	13,626.92	14,003.18	15,660.37	15,686.99	18,426.88
2	स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विकास	6,490.86	6,392.84	7,864.45	8,304.41	9,288.01
3	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	5,129.55	5,632.55	6,502.39	7,216.87	6,072.45
4	ग्रामीण विकास	3,836.63	4,708.14	4,868.98	6,018.08	5,665.54
5	महिलाएं, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा	2,539.69	2,582.92	3,912.46	3,777.78	5,653.58
6	ऊर्जा	6,345.77	4,155.2	3,148.42	6,846.78	5,483.63
7	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण	2,847.19	3,382.55	3,128.30	4,061.85	4,813.42
8	पथ निर्माण	5,328.10	4,098.29	3,921.38	3,491.79	3,432.41
9	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता	2,022.42	1,667.69	2,611.77	1,646.90	3,363.04
10	शहरी विकास एवं आवास	3,028.35	1,986.42	2,559.20	2,912.09	2,463.06
11	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	1,681.00	1,583.84	1,918.40	1,665.10	1,728.17
12	जल संसाधन	2,094.91	1,883.63	1,722.65	1,421.55	1,586.05
13	अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण	1,357.11	1,547.94	1,378.32	1,188.34	1,445.96
14	खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले	944.16	1,030.86	1,134.72	1,380.71	1,445.92
15	ग्रामीण कार्य	2,737.81	4,323.44	2,525.28	1,663.49	1,109.70
16	पंचायती राज	1,578.46	875.27	2,482.11	1,857.49	806.10
17	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	591.21	525.07	714.44	725.80	742.18
18	विधि	377.33	440.66	458.52	446.42	510.93
19	भवन निर्माण	637.05	496.32	549.55	256.68	429.08
20	उद्योग	248.78	314.59	276.47	220.09	288.79
21	श्रम रोजगार प्रशिक्षण और कौशल विकास	168.22	179.84	161.24	294.26	252.07
22	सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस	74.25	145.48	153.57	122.51	179.71
23	सूचना एवं जनसंपर्क	194.75	170.77	201.18	130.79	178.97
24	पर्यटन, कला संस्कृति, खेल और युवा मामले	217.08	249.09	212.43	179.90	141.50
25	पेयजल एवं स्वच्छता	2,055.91	1,765.3	1,180.18	1,278.86	121.05
26	योजना एवं विकास	346.53	559.87	270.39	108.25	113.60
27	विधान सभा	84.91	89.09	91.94	99.22	112.89
28	कैबिनेट (चुनाव)	59.81	102.62	348.16	113.81	106.45
	कुल	66,644.76	64,893.46	69,957.27	73,116.81	75,961.14

(स्रोत: विनियोजन लेखे 2017-18 से 2021-22)

IV झारखंड सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में सृजित कर और गैर-कर राजस्व, संघीय करों और शुल्कों की शुद्ध आय में राज्यों को सौंपे गए विभाज्य राज्य का हिस्सा और भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान और पिछले चार वर्षों के संबंधित आंकड़े तालिका 1.2 में प्रस्तुत किए गए हैं।

तालिका 1.2: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति


(₹ करोड़ में)

		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	राज्य सरकार द्वारा सृजित राजस्व					
	• कर राजस्व	12,353.44	14,752.04	16,771.45	16,880.08	21,289.61
	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिशतता	(-) 7.11	19.42	13.69	0.65	26.12
	• गैर-कर राजस्व	7,846.67	8,257.98	8,749.98	7,564.01	10,030.75
	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिशतता	46.63	5.24	5.96	(-) 13.55	32.61
कुल	20,200.11	23,010.02	25,521.43	24,444.09	31,320.36	
2	भारत सरकार से प्राप्तियां					
	• विभाज्य संघ कर और शुल्क का राज्य का हिस्सा	21,143.63	23,906.16	20,593.04	19,712.23	27,734.64
	• सहायता अनुदान	11,412.29	9,235.52	12,302.67	11,993.41	10,666.86
कुल	32,555.92	33,141.68	32,895.71	31,705.64	38,401.50	
3	राज्य सरकार की कुल प्राप्तियां (1 व 2)	52,756.03	56,151.70	58,417.14	56,149.73	69,721.86
4	1 से 3 का प्रतिशत	38	41	44	44	45

(स्रोत: झारखंड सरकार के वित्त लेखे)

उपर्युक्त तालिका इंगित करती है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व (₹ 31,320.36 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों का मात्र 45 प्रतिशत था। 2021-22 के दौरान प्राप्तियों का शेष 55 प्रतिशत भारत सरकार से था। राज्य सरकार द्वारा जुटाए गए कर राजस्व और गैर-कर राजस्व 2020-21 की तुलना में 2021-22 में क्रमशः 26.12 प्रतिशत से बढ़कर 32.61 प्रतिशत हो गई।

वर्ष 2021-22 के लिए राज्य की राजस्व प्राप्तियों का विघटन चार्ट-1.1 में दिखाया गया है।



2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान सृजित कर राजस्व का विवरण तालिका 1.3 में दिया गया है


तालिका 1.3
कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	राजस्व शीर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2020-21 की तुलना में 2021-22 में प्रतिशतता वृद्धि (+) या कमी (-)
1	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	5,714.69	3,474.96	3,996.33	4,300.89	5,213.40	21.22
2	राज्य वस्तु एवं सेवा कर	4,123.88	8,200.84	8,417.72	7,930.56	9,557.40	20.51
3	राज्य उत्पाद शुल्क	840.81	1,082.82	2,009.27	1,821.09	1,806.61	(-) 0.80
4	मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	469.34	451.04	560.33	708.14	987.24	39.41
5	वाहनों पर कर	778.37	863.94	1,128.98	976.35	1,262.78	29.34
6	विद्युत पर कर और शुल्क	183.50	209.07	236.24	195.26	791.72	305.47
7	भू राजस्व	156.01	389.38	337.98	872.93	1,621.21	85.72
8	आय पर अन्य कर तथा व्यय	73.98	78.61	83.93	74.77	46.15	(-) 38.28
9	अन्य	12.86	1.38	0.67	0.09	3.10	3,344.44
	कुल	12,353.44	14,752.04	16,771.45	16,880.08	21,289.61	(+) 26.12

(स्रोत: झारखंड सरकार के वित्त लेखे)

वर्ष 2021-22 के लिए राज्य की कर राजस्व का विघटन चार्ट-1.2 में दिखाया गया है।



कर राजस्व के कुछ प्रमुख शीर्षों के संबंध में वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 के प्राप्तियों में विविधता के कारण, निम्नानुसार थे:

बिक्री, व्यापार आदि पर कर: 21.22 प्रतिशत की वृद्धि (जुलाई 2022 और मई 2023) के लिए विभाग द्वारा भारतीय निर्मित विदेशी शराब पर मूल्यवर्धित कर की दर को मई 2020 से 50 से 75 प्रतिशत तक की वृद्धि को कारण बताया गया।

राज्य वस्तु एवं सेवा कर: 20.51 प्रतिशत की वृद्धि (जुलाई 2022 और मई 2023) के लिए विभाग द्वारा करदाता के आधार को बढ़ाने वाले पंजीकृत करदाताओं में वृद्धि, ₹ दो करोड़ से अधिक के कारोबार वाले करदाताओं की प्रभावी निगरानी, अधिकतम रिटर्न फाइलिंग के लिए लक्षित दृष्टिकोण, कर बकाया धारकों को राहत देने के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम शुरू करने आदि को जिम्मेदार ठहराया गया।

राज्य उत्पाद: 0.80 प्रतिशत की कमी (मई 2023) के लिए विभाग द्वारा कुछ खुदरा दुकानों के नवीनीकरण न होने को कारण बताया गया।

मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क: 'मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क' के तहत प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 में 39.41 प्रतिशत की वृद्धि हुई। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2021-22 के दौरान, लघु शीर्ष '102-स्टाम्प की बिक्री' से प्राप्तियां 2020-21 के दौरान उप शीर्ष 02-स्टैंप-नॉन जुडिसियल के तहत ₹ 377.43 करोड़ से बढ़कर ₹ 505.31 करोड़ हो गईं।

वाहनों पर कर: शुल्क की वृद्धि को विभाग द्वारा 29.34 प्रतिशत की वृद्धि के लिए जिम्मेदार ठहराया गया (मई 2023)।

विद्युत पर कर और शुल्क: वाणिज्य कर विभाग द्वारा 305.47 प्रतिशत की वृद्धि के लिए प्रतिशत के आधार पर जैसे, ऊर्जा खपत अथवा बिक्री के लिए शुद्ध ऊर्जा शुल्क, घरेलू उपयोग के लिए छः प्रतिशत, 10 मेगा वोल्ट एम्पियर (एमवीए) तक उद्योग, खनन एवं वाणिज्यिक उपयोग के लिए आठ प्रतिशत एवं 10 एमवीए से ऊपर के लिए 15 प्रतिशत विद्युत शुल्क के लेवी शुरू करके नीति में परिवर्तन को जिम्मेदार ठहराया गया (जुलाई 2022 एवं मई 2023)। औद्योगिक या खनन इकाइयों द्वारा कैप्टिव पावर स्टेशनों की स्थापना पर, शुल्क की दर को पाँच पैसे प्रति यूनिट (औद्योगिक उद्देश्य के लिए) और 15/20 पैसे प्रति यूनिट (खनन उद्देश्य के लिए) से 50 पैसे प्रति यूनिट की खपत से संशोधित किया गया है।

लेखापरीक्षा ने 31 मार्च, 2019, झारखण्ड सरकार को समाप्त वर्ष के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित सामान्य, सामाजिक, आर्थिक और राजस्व क्षेत्रों पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की कंडिका 3.3.6.1 में दर्शाए गए “झारखंड में विद्युत शुल्क लगाने और संग्रहण के लिए तंत्र” की लेखापरीक्षा के दौरान पड़ोसी राज्यों के साथ राजस्व तुलना पर प्रकाश डाला था। विभाग ने उत्तर में सूचित किया था (दिसंबर 2020) कि विशेष सचिव की अध्यक्षता में पड़ोसी राज्यों की तुलना में झारखंड में बिजली शुल्क और कर की लागू दर पर लेखापरीक्षा अवलोकन पर कार्रवाई करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था।

भू-राजस्व: 85.72 प्रतिशत की वृद्धि (मई 2023) के लिए विभाग द्वारा सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, राँची से ₹ 500 करोड़ के बकाया राजस्व को जिम्मेदार ठहराया गया ।

आय पर अन्य कर तथा व्यय: 38.28 प्रतिशत की कमी के लिए विभाग द्वारा कोविड-19 महामारी को जिम्मेदार ठहराया गया (मई 2023)।

2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान सृजित गैर-कर राजस्व का विवरण तालिका 1.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.4
गैर-कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	राजस्व शीर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2020-21 की तुलना में 2021-22 में प्रतिशतता वृद्धि (+) या कमी (-)
1	अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	5,941.36	5,934.64	5,461.36	5,012.47	7,535.03	50.33
2	फसल कृषि व्यवस्था	166.19	15.23	160.40	555.55	5.34	(-) 99.04
3	वानिकी और वन्य जीवन	4.44	14.79	17.59	328.17	655.76	99.82


तालिका 1.4
गैर-कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	राजस्व शीर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2020-21 की तुलना में 2021-22 में प्रतिशतता वृद्धि (+) या कमी (-)
4	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	14.22	25.58	8.75	270.71	8.78	(-) 96.76
5	ब्याज प्राप्तियाँ	168.88	47.20	309.51	81.36	95.54	17.43
6	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	135.78	8.46	84.61	18.05	3.21	(-) 82.22
7	अन्य ⁴	1,415.80	2,212.08	2,707.76	1,297.70	1,727.09	33.09
	कुल	7,846.67	8,257.98	8,749.98	7,564.01	10,030.75	32.61

(स्रोत: झारखंड सरकार के वित्त लेखे)

वर्ष 2021-22 के लिए गैर-कर राजस्व का विघटित विवरण तालिका 1.3 में दिखाया गया है।



कई अनुरोधों के बावजूद संबंधित विभागों ने विविधता के कारणों को प्रस्तुत नहीं किया।

फसल कृषि व्यवस्था: 'फसल कृषि व्यवस्था' के तहत प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 में 99.04 प्रतिशत की कमी आई। लेखापरीक्षा ने देखा कि 2021-22 के दौरान सहायता अनुदान के अव्ययित शेष की वसूली 2020-21 के दौरान ₹ 555.55 करोड़ से घटकर ₹ 5.34 करोड़ हो गई।

⁴ अन्य में सामान्य सेवाएं, सामाजिक सेवाएं और आर्थिक सेवाएं शामिल हैं।

वानिकी और वन्य जीवन: 'वानिकी और वन्य जीवन' के तहत प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 में 99.82 प्रतिशत की वृद्धि हुई। लेखापरीक्षा ने देखा कि 2021-22 के दौरान, उप-शीर्ष '01-वानिकी' के तहत लघु शीर्ष-103 'पर्यावरणीय वानिकी से प्राप्तियां' और उप-शीर्ष '02-पर्यावरण वानिकी और वन्य जीवन' के तहत लघु शीर्ष '112-सार्वजनिक बाग' से प्राप्तियों में 2020-21 की तुलना में ₹ 149.42 करोड़ और ₹ 493.42 करोड़ तक क्रमशः वृद्धि हुई।

चिकित्सा और जन स्वास्थ्य: 'चिकित्सा और जन स्वास्थ्य' के तहत प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 में 96.76 प्रतिशत की कमी आई। लेखापरीक्षा ने देखा कि 2021-22 के दौरान सहायता अनुदान के अव्ययित शेष की वसूली 2020-21 के दौरान ₹ 260.53 करोड़ से घटकर ₹ 0.76 लाख हो गई।

सामाजिक सुरक्षा और कल्याण: 'सामाजिक सुरक्षा और कल्याण' शीर्ष के तहत प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 में 82.22 प्रतिशत की कमी आई। लेखापरीक्षा ने देखा कि 2021-22 के दौरान लघु शीर्ष 913 के अव्ययित अनुदान शेष की वसूली 2020-21 के दौरान ₹ 16.40 करोड़ से घटकर ₹ 1.26 करोड़ हो गई।

V राजस्व के चार प्रमुख शीर्षों के संबंध में 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार राजस्व का बकाया ₹ 8,479.97 करोड़ था, जिसमें ₹ 4,342.28 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक के लिए बकाया था, जैसा कि तालिका 1.5 में वर्णित है।

तालिका 1.5

राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2022 को बकाया	31 मार्च 2022 को पाँच साल से अधिक समय तक	बकाया की स्थिति						
				जारी की गई मांग	न्यायिक अधिकारियों द्वारा रोका हुआ	सरकार द्वारा रोका हुआ	सुधार/समीक्षा	डीलर/पार्टी दिवालिया	बड़े खाते में डाला गया	विशिष्ट कार्रवाई की सूचना नहीं दी गई
1	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	7,462.52	3,626.10	1,191.73	2,556.81	626.95	50.14	71.85	0	2,965.04
2	वाहनों पर कर	609.45	426.11	226.26	0	0	0	0	0	383.19
3	राज्य उत्पाद	77.53	0.00	49.42	7.65	0.07	0.11	0	0.16	20.12
4	भू-राजस्व	330.47	290.07	बकाया के संबंध में की गई विशिष्ट कार्रवाई की सूचना नहीं दी गई है (मार्च 2024)						
कुल		8,479.97	4,342.28							

लेखापरीक्षा द्वारा सक्रिय अनुपालन के बावजूद अन्य राजस्व शीर्षों के संबंध में 31 मार्च 2022 तक राजस्व बकाया, संग्रहण की स्थिति प्रस्तुत नहीं की गई (मार्च 2024)।

1.2 लेखापरीक्षा-प्राधिकार

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा का प्राधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डीपीसी अधिनियम) से उद्भूत है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, डीपीसी अधिनियम की धारा⁵ 13 एवं 16 के अंतर्गत राज्य सरकार के विभागों के व्यय एवं प्राप्तियों की लेखापरीक्षा करती है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक स्वायत्त निकायों का एकमात्र लेखापरीक्षक है जिनकी लेखापरीक्षा डीपीसी अधिनियम की धारा 19 (2), 19 (3)⁶ और 20 (1)⁷ के अंतर्गत की जाती है। इसके अलावा, सरकार द्वारा समुचित वित्तपोषित अन्य स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा भी नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, डीपीसी अधिनियम की धारा⁸ 14 के अंतर्गत करती है।

आगे, केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों के, या आंशिक रूप से केंद्र सरकार एवं आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों के, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व या नियंत्रण में आने वाली किसी अन्य कंपनी का लेखापरीक्षा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अधीन है।

सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा की प्रक्रिया, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 एवं 143 के प्रासंगिक प्रावधानों द्वारा शासित होती है। आगे, कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा 7 के अनुसार, यदि आवश्यक हो तो, धारा 139 की उप-धारा 5 या उप-धारा 7 के अंतर्गत आने वाली किसी भी कंपनी के मामले में, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, एक आदेश द्वारा, ऐसी कंपनी के लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा कर सकती है। ऐसी लेखापरीक्षा पर डीपीसी अधिनियम की धारा 19A के प्रावधान लागू होंगे। 31 मार्च 2014 तक के वित्तीय वर्षों के संबंध में किसी कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों द्वारा शासित होता रहेगा।

विभिन्न लेखापरीक्षाओं के लिए सिद्धान्त एवं कार्यप्रणाली, भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग द्वारा जारी लेखापरीक्षा एवं लेखा पर विनियम (संशोधन), 2020 तथा लेखापरीक्षा मानकों में वर्णित हैं।

⁵ (i) राज्य की संचित निधि से सभी व्यय (ii) आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा से संबंधित सभी लेनदेन तथा (iii) सभी व्यापार, निर्माण, लाभ एवं हानि लेखे, बैलेंस-शीट तथा अन्य सहायक लेखाओं और (iv) सभी प्राप्तियां जो संचित निधि में देय हैं की लेखापरीक्षा।

⁶ संबंधित विधानों के प्रावधानों के अनुसार अथवा जनहित में राज्य के राज्यपाल के अनुरोध पर राज्य विधानमंडल द्वारा या उसके द्वारा निर्मित विधि के तहत स्थापित निगमों (जो कंपनियां नहीं हैं) के खातों की लेखापरीक्षा।

⁷ नियंत्रक-महालेखापरीक्षक तथा सरकार के बीच तय नियमों एवं शर्तों पर राज्यपाल के अनुरोध पर किसी भी निकाय अथवा प्राधिकरण के खातों की लेखापरीक्षा।

⁸ कई गैर-वाणिज्यिक स्वायत्त/अर्ध-स्वायत्त निकाय जो रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन, साक्षरता का प्रसार, सभी के लिए स्वास्थ्य एवं बीमारियों की रोकथाम, पर्यावरण आदि की योजनाओं को लागू करने के लिए स्थापित हैं तथा सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित हैं उनकी लेखापरीक्षा अनुच्छेद 14 के तहत होती है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति

जैसा विहित है, सरकारी कंपनियों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा, कंपनी अधिनियम की धारा 139(5) या 139(7) के प्रावधानों के अनुसार नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है, जो अधिनियम की धारा 143(5) के तहत कंपनी के वित्तीय विवरण के साथ लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को प्रस्तुत करेंगे। अधिनियम की धारा 143(6) के प्रावधानों के तहत प्रतिवेदन की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर इन वित्तीय विवरणों की संपूर्ण लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जानी है।

1.3 लेखापरीक्षा योजना एवं संचालन

निष्पादन लेखापरीक्षा (नि.ले.)/ विषय विशेष अनुपालन लेखापरीक्षा (वि.वि.अ.ले.)/ पृथक अनुपालन लेखापरीक्षाएँ वार्षिक लेखापरीक्षा योजना (ए.ए.पी.) के अनुरूप की जाती हैं। पृथक अनुपालन लेखापरीक्षा के लिए इकाइयों का चयन शीर्ष इकाइयों, लेखापरीक्षा इकाइयों एवं कार्यान्वयन एजेंसियों के जोखिम मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है जिसमें उनके वित्तीय महत्व के मामले, सामाजिक प्रासंगिकता, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ, पूर्व में गबन, दुर्विनियोग, कपट इत्यादि के मामलों के साथ-साथ पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के परिणाम शामिल होते हैं।

लेखापरीक्षा पूर्ण होने के पश्चात् इकाइयों के प्रमुखों को निरीक्षण प्रतिवेदन जारी की जाती है। प्राप्त जवाब के आधार पर लेखापरीक्षा अवलोकनों का या तो निपटान किया जाता है अथवा अनुपालन के लिए आगे की कार्रवाई की सलाह दी जाती है। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को पृथक अवलोकनों/ कंडिकाओं के रूप में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए आगे परिष्कृत किया जाता है। निष्पादन लेखापरीक्षा/ विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएँ महत्वपूर्ण मुद्दों पर तैयार की जाती हैं। मुद्दों का चयन उपर्युक्त कार्यप्रणाली सादृश्य के अनुसार किया जाता है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु सामग्रियों को अंतिम रूप देते समय विभागों द्वारा प्रस्तुत औपचारिक जवाबों पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाता है। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

1.4 लेखापरीक्षा का परिणाम

वर्ष 2021-22 के दौरान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड द्वारा तीन विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (वि.वि.अ.ले.) की, जैसे 'पथ कार्यों के अनुबंधों में मूल्य समायोजन का प्रबंध' (पथ निर्माण विभाग), 'झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) द्वारा टैरिफ, बिलिंग, राजस्व संग्रहण और सब्सिडी प्रबंधन' जो एक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (ऊर्जा विभाग) है; एवं "जी.एस.टी. भुगतान और

दाखिल विवरणी पर विभाग की निगरानी' (वाणिज्य कर विभाग); और 24 विभागों के अंतर्गत 250 इकाईयों का पृथक अनुपालन लेखापरीक्षा शामिल हैं।

लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर वसूली

कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण प्रमंडल, गिरिडीह ने गिरिडीह में सामाहणालय भवन के निर्माण के लिए मार्च 2021 तक ₹ 1.95 करोड़ के मूल्य समायोजन (मू.स.) सहित संवेदक को ₹ 37.58 करोड़ का भुगतान किया। सातवें और 10 वें चलंत बिलों में पहले से भुगतान किए गए मू.स. को मू.स. की गणना के लिए वास्तविक कार्य मूल्य में अनियमित रूप से पुनः जोड़ा गया था, जिसके कारण संवेदक को मू.स. की ₹ 0.81 करोड़ की राशि का अधिक भुगतान हुआ।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने (अक्टूबर 2021) पर, प्रमंडल ने स्वीकार्य मू.स. की पुनर्गणना (नवंबर 2021) की और मू.स. के कारण उस समय तक ₹ 1.20 करोड़ (12 प्रतिशत जीएसटी और एक प्रतिशत श्रम उपकर सहित) का अतिरिक्त भुगतान पाया। तदनुसार, प्रमंडल ने 16^{वें} चलंत बिल से ₹ 0.76 करोड़ (अप्रैल 2022) समायोजित किया और शेष ₹ 0.44 करोड़ (फरवरी 2023) संवेदक की प्रतिभूति जमा से समायोजित किया

विभागों/सरकार ने ₹ 1,616.75 करोड़ के कुल अवलोकनों से ₹ 571.51 करोड़ की राजस्व संग्रह में अनियमितताओं से संबंधित लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार कर लिया है और ₹ 13.78 करोड़ की वसूली की सूचना दी है।

1.5 लेखापरीक्षा पर सरकार की प्रतिक्रिया का अभाव

निरीक्षण प्रतिवेदन पर सरकार की प्रतिक्रिया

लेन-देन में नियमों एवं विनियमों के अनुपालन की जाँच तथा निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार महत्वपूर्ण लेखाओं तथा अन्य अभिलेखों के रखरखाव में नियमितता के सत्यापन के लिए महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड सरकारी विभागों की लेखापरीक्षा करता है। निरीक्षण के दौरान पाई गई महत्वपूर्ण अनियमितताएँ एवं अन्य बिंदु, जो मौके पर निस्तारित नहीं किये जा सके, निरीक्षण प्रतिवेदन में शामिल किए जाते हैं। इन लेखापरीक्षाओं के बाद निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.), निरीक्षित कार्यालय के प्रमुखों को एवं इसकी प्रतियाँ अगले उच्च अधिकारियों को जारी की जाती हैं। गंभीर अनियमितताओं को महालेखाकार के कार्यालय द्वारा सरकार के संज्ञान में लाया जाता है।

लेखापरीक्षा एवं लेखा पर विनियम (संशोधन), 2020 के अनुसार, लेखापरीक्षित इकाई के प्रभारी अधिकारी, निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) की प्राप्ति के चार सप्ताह के अन्दर इसका जवाब भेजेंगे। महालेखाकार द्वारा किसी बड़ी अनियमितता की सूचना पर सरकार प्रथम दृष्टया तथ्यों का सत्यापन करेगी एवं सूचना प्राप्त होने के तीन सप्ताह के भीतर तथ्यों की पुष्टि या खंडन करते हुए महालेखाकार को प्रारंभिक प्रतिवेदन भेजेगी। प्रारंभिक

प्रतिवेदन में सरकार द्वारा गंभीर अनियमितता⁹ के तथ्य का खंडन नहीं किए जाने की दशा में सरकार प्रारंभिक प्रतिवेदन के दो महीनों के भीतर इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए की गई सुधारात्मक कार्रवाई तथा चूक के लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध की गई कार्रवाई को बताते हुए एक विस्तृत प्रतिवेदन महालेखाकार को भेजेगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त, महालेखाकार द्वारा जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदन पर त्वरित प्रतिक्रिया हेतु झारखण्ड सरकार के वित्त-विभाग ने ससमय सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर विभागों को दिशा-निर्देश भी जारी किया।

विचाराधीन निरीक्षण प्रतिवेदनों की लंबित लेखापरीक्षा टिप्पणियों की निगरानी एवं उनके निपटान को सुलभ बनाने हेतु संबंधित विभाग के प्रधान सचिव/ सचिव को निरीक्षण प्रतिवेदनों को लंबित दिखाती हुई एक छमाही प्रतिवेदन भेजी जाती है।

मार्च 2022 तक 34 विभागों को जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों की विस्तृत समीक्षा से पता चला कि 6,167 निरीक्षण प्रतिवेदनों में निहित 45,589 कण्डिकाएँ उपयुक्त अनुपालन के अभाव में 31 मार्च 2023 (तालिका 1.6) को लंबित थीं। इनमें से 3,859 निरीक्षण प्रतिवेदनों में निहित 28,217 कण्डिकाओं के प्रारंभिक जवाब भी प्राप्त नहीं हुए थे।

तालिका 1.6: 31 मार्च 2023 को बकाया नि.प्र. और कंडिकाएं (31 मार्च 2022 तक जारी)

क्र.सं.	अवधि	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	लंबित कंडिकाओं की संख्या
1	2021-22	205	2,074
2	1 वर्ष से 3 वर्ष	657	6,090
3	3 वर्ष से 5 वर्ष	624	4,587
4	5 वर्ष से अधिक	4,681	32,838

प्रधान सचिव/सचिव या/एवं प्रशासनिक विभागों के किसी नोडल अधिकारी तथा लेखापरीक्षा के प्रतिनिधियों से मिलकर बनी लेखापरीक्षा समिति पारस्परिक सहूलियत के आधार पर लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों/ कंडिकाओं के शीघ्र निपटान हेतु समय-समय पर बैठक करती है। भवन निर्माण विभाग के साथ एक लेखापरीक्षा समिति की बैठक 2021-22 के दौरान आयोजित की गई थी, जिसमें 20 नि.प्र. में निहित 114 कंडिकाओं पर चर्चा की गई और 10 नि.प्र. और 92 कंडिकाओं का निपटान किया गया।

यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार को (i) निर्धारित समय-सारणी के अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं का उत्तर भेजने में विफल रहने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई, (ii) हानियों/बकाया-अग्रिमों/अधिक भुगतानों आदि की समयबद्ध तरीके से वसूली तथा

⁹ गंभीर अनियमितता का अर्थ है (अ) संदिग्ध सामग्री धोखाधड़ी या मिलीभगत या भ्रष्टाचार का एक मामला जो लेखापरीक्षा में सामने आया हो, अथवा (ब) गंभीर प्रकृति की अनियमितता जिसमें सार्वजनिक धन, विशेष रूप से कुप्रबंधन, हानि, बर्बादी, व्यर्थ व्यय या राजस्व की हानि, गंभीर खराबी/आंतरिक नियंत्रणों का उल्लंघन आदि शामिल हैं।

(iii) प्रत्येक विभाग के लिए प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक लेखापरीक्षा समिति की बैठक के आयोजन के लिए एक प्रक्रिया की स्थापना सुनिश्चित करनी चाहिए।

लेखापरीक्षा एवं लेखा पर विनियम (संशोधन), 2020 निर्धारित करता है कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल किए जाने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा कण्डिकाओं पर प्रतिक्रिया छः सप्ताह के भीतर समर्पित की जानी चाहिए।

प्रारूप नि.ले./ वि.वि.ले.प. और पृथक प्रारूप कण्डिकाएँ, लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर ध्यान आकृष्ट कराते हुए निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रतिक्रिया भेजने का अनुरोध करते हुए संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों के साथ-साथ वित्त विभाग को अग्रेषित किए जाते हैं। उनके व्यक्तिगत ध्यान में यह भी लाया जाता है कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, जो विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं, में इन कंडिकाओं के शामिल होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए, इन लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनकी टिप्पणियों को शामिल करना वांछनीय होगा।

इस प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए प्रस्तावित प्रारूप कण्डिकाएँ एवं निष्पादन लेखापरीक्षा/विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा कण्डिकाएँ, संबंधित विभागों तथा वित्त विभाग के प्रधान सचिव/सचिव को उनके नाम से संबोधित कर आधिकारिक/अर्ध-सरकारी पत्रों के माध्यम से सितम्बर 2022 एवं अप्रैल 2023 के बीच अग्रेषित किए गए थे।-संबंधित विभागों द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल 13 पृथक/विस्तृत अनुपालन/निष्पादन लेखापरीक्षा कण्डिकाओं में से आठ पर जवाब दिए गए थे। विभाग/लेखापरीक्षित इकाइयों की प्रतिक्रियाओं के साथ-साथ प्रारंभिक लेखापरीक्षा पृच्छाओं के जवाब, जहाँ भी प्राप्त हुए, प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से समाहित किए गए हैं।

1.6 एसपीएसई के लेखाओं के लेखापरीक्षा की स्थिति

एसपीएसई द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

वर्ष 2021-22 की लेखाओं को सभी एसपीएसई द्वारा 30 सितंबर 2022 तक प्रस्तुत करना आवश्यक था। दिसंबर 2022 तक, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के दायरे में आने वाले 31 (08 ऊर्जा क्षेत्र एवं 23 गैर-ऊर्जा क्षेत्र) एसपीएसई में से केवल पांच¹⁰ एसपीएसई ने वर्ष 2021-22 की अपनी लेखाएँ प्रस्तुत कीं। इनमें तीन एसपीएसई ने 01 अक्टूबर 2022 एवं 31 दिसंबर 2022 के बीच अपनी लेखाएँ, लेखापरीक्षा के लिए जमा की।

एसपीएसई द्वारा लेखाएँ तैयार करने में समयबद्ध

31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले पिछले पाँच वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक के लिए अनुवर्ती वर्ष के 30 सितंबर तक एसपीएसई द्वारा लेखाओं के प्रस्तुतीकरण की बकाया का विवरण नीचे तालिका 1.7 दिया गया है:

¹⁰ (i) झारखण्ड पुलिस आवास निगम लिमिटेड; (ii) झारखण्ड कोलियरी लिमिटेड; (iii) पतरातू एनर्जी लिमिटेड; (iv) झारखंड रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड; एवं (v) करणपुरा एनर्जी लिमिटेड।

तालिका 1.7: कार्यरत एसपीएसई द्वारा लेखाओं की प्रस्तुतीकरण से संबंधित स्थिति

क्र. सं.	ब्यौरे	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	एसपीएसई की संख्या	29	30	31	31	31
2	चालू वर्ष के दौरान प्रस्तुत किए गए लेखाओं की संख्या	28	21	23	27	23
3	चालू वर्ष के लेखाओं को अंतिम रूप देने वाले एसपीएसई की संख्या	4	3	1	3	5
4	चालू वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिए गए पिछले वर्ष के लेखाओं की संख्या	24	18	22	24	18
5	बकाया लेखाओं वाले एसपीएसई की संख्या	25	27	30	28	26
6	बकाया लेखाओं की संख्या	68	77	84	88	93
7	बकाया की सीमा (वर्षों में)	1 से 09 वर्ष	1 से 09 वर्ष	1 से 10 वर्ष	1 से 11 वर्ष	1 से 12 वर्ष

(स्रोत: जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 की अवधि के दौरान प्राप्त एसपीएसई के लेखाओं के आधार पर)

01 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 की अवधि के दौरान, एसपीएसई ने 23 वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप दिया था, जिनमें 2021-22 की पाँच लेखाएँ और पिछले वर्षों की 18 लेखाएँ शामिल थीं। प्रशासनिक विभागों पर इन संस्थाओं की गतिविधियों की देखरेख करने एवं यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि इन एसपीएसई द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर लेखाओं को अंतिम रूप दिया जाए तथा अपनाया जाए। मगर, 26 कंपनियों 93 लेखाएँ बकाया थे। दो कंपनियों (24 लेखाएँ) से संबंधित लेखाएँ दस वर्षों से बकाया थे, चार कंपनियों (24 लेखाएँ) से संबंधित लेखाएँ; पाँच से दस वर्ष, तथा शेष 20 कंपनियों (45 लेखाएँ) से संबंधित एक से पाँच वर्ष, जैसा *परिशिष्ट-II* में वर्णित है। बकाया लेखाओं के बारे में झारखण्ड सरकार के मुख्य सचिव को अवगत कराया जाता है।

वर्ष 2021-22 के साथ-साथ पिछले वर्षों की लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने तथा 26 एसपीएसई के 93 लेखाओं की अनुवर्ती लेखापरीक्षा के अभाव में, इस बात का कोई आश्वासन नहीं दिया जा सका कि क्या निवेश एवं किए गए व्यय का उचित लेखा संधारण किया गया था तथा निवेश के उद्देश्य की प्राप्ति हुई थी। अतः इन एसपीएसई में सरकारी निवेश, उस सीमा तक, राज्य विधानमंडल की निगरानी से बाहर रहे।

1.7 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

लोक लेखा समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा

लोक लेखा समिति के आंतरिक कामकाज के लिए प्रक्रिया के नियमों के अनुसार, प्रशासनिक विभागों को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल सभी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों/ कंडिकाओं पर स्वतः कार्रवाई शुरू करनी थी, भले ही उन्हें लोक लेखा समिति (पीएसी) द्वारा जाँच के लिए लिया गया हो या नहीं। विभागों को

पीएसी को विस्तृत कार्रवाई नोट (एटीएन) प्रस्तुत करने थे, जिनकी लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत जाँच की गई थी, जिसमें उनके द्वारा की गई या प्रस्तावित उपचारात्मक कार्रवाई का संकेत दिया गया था।

वर्ष 2008-09 से 2019-20 के लिए सामान्य, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और राजस्व क्षेत्र पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में 503 लेखापरीक्षा कंडिकाएँ हैं। इनमें से, पीएसी ने चर्चा के लिए 162 कंडिकाएँ लिए और तीन कंडिकाओं तथा 17 उप-कंडिकाओं के संबंध में सिफारिशों की हैं। इसके अलावा, एक एटीएन प्राप्त हुआ है और एक कंडिका में, विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है।

इसके अतिरिक्त, 2000-01 से 2007-08 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जो अनुवर्ती कार्रवाई के लिए विभागों पर छोड़े गए थे, इनमें 471 लंबित कंडिकाएँ थीं, जिनमें से 184 कंडिकाएँ लोक लेखा समिति द्वारा परिचर्चा के लिए गए थे। इसके विरुद्ध, लोक लेखा समिति ने 12 कंडिकाओं तथा 8 उप-कंडिकाओं के संबंध में अनुशंसाएँ की थीं, जिनमें से चार कंडिकाओं और छह उप-कंडिकाओं के संबंध में एटीएन प्राप्त हुई थी, जैसा कि तालिका 1.8 में वर्णित है।

तालिका 1.8: पीएसी चर्चा की स्थिति

स्थिति	वर्ष 2000-01 से 2007-08 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	वर्ष 2008-09 से 2019-20 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
बकाया लेखापरीक्षा कंडिकाओं की सं.	471	503
चर्चा के लिए पीएसी द्वारा लिया गया	184	162
पीएसी चर्चा के लिए नहीं लिया गया	287	341
पीएसी द्वारा की गई सिफारिश	12 कंडिकाएँ एवं 8 उप कंडिकाएँ	3 कंडिकाएँ एवं 17 उप कंडिकाएँ
प्राप्त एटीएन	4 कंडिकाएँ एवं 6 उप कंडिकाएँ	1
विभाग द्वारा की गई कार्रवाई	4 कंडिकाएँ एवं 6 उप कंडिकाएँ	1

सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर परिचर्चा

अगस्त 2018 में आयोजित एक बैठक में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लंबित कंडिकाओं से सार्वजनिक उपक्रमों की समिति (कोपू) को अवगत कराया गया था। इसके अलावा, कोपू ने 2018-19 में आयोजित अपनी तीन बैठकों में 2008-09, 2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2015-16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के पाँच कंडिकाओं पर चर्चा की; वर्ष 2019-20 में आयोजित दो बैठकों में 2005-06, 2008-09, 2012-13, 2013-14 एवं 2015-16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सात कंडिकाओं एवं वर्ष 2020-21 में आयोजित बैठक में 2007-08, 2008-09 और 2011-12 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के तीन कंडिकाओं पर चर्चा की। वर्ष 2021-22 में कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

कोपू ने चार विभागों, अर्थात् (i) वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन (ii) खान एवं भूतत्व विभाग (iii) गृह, जेल और आपदा प्रबंधन और (iv) उद्योग से संबंधित 2006-07, 2007-08, 2009-10, 2010-11 और 2012-13 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन से संबंधित कंडिका पर नौ अनुशंसायें की। हालांकि, एसपीएसई से कोई कृत कार्रवाई टिप्पणी (एटीएन) प्राप्त नहीं हुआ था।

1.8 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकन

इस प्रतिवेदन में तीन विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा और 10 व्यक्तिगत अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिका शामिल हैं।

निम्नलिखित कंडिकाओं में महत्वपूर्ण टिप्पणियों पर संक्षेप में चर्चा की गई है।

पथ कार्यों के अनुबंधों में मूल्य समायोजन का प्रबंध

संवेदकों को बाधा मुक्त स्थल प्रदान करने में विभाग की विफलता के कारण आठ कार्यों में विस्तारित समय अवधि के लिए मूल्य समायोजन (मू.स) के रूप में कार्य की लागत में ₹ 37.29 करोड़ वृद्धि हुई। इसके अलावा, 80 नमूना जाँच किये गए पथ कार्यों में 49 कार्य, जो देरी से पूरे हुए/ अपूर्ण थे, इन कार्यों के निष्पादन में दो से 78 महीने के बीच समय की वृद्धि हुई थी।

(कंडिका 2.1.3)

कार्यपालक अभियंताओं ने अनुबंधों में प्रावधान के बावजूद लागू मू.स. की गणना नहीं की थी, जिसके परिणामस्वरूप पाँच प्रमंडलों में सात सड़क कार्यों के संवेदकों को ₹ 5.29 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ था।

(कंडिका 2.1.4.1)

सात प्रमंडलों में, 11 पथ कार्यों में, किए गए कार्य जैसे कि कार्य के मूल्य का मासिक औसत लेना, केवल उस महीने के लिए मू.स. की गणना जिसमें कार्य मापा गया था, बाद के चलंत लेखा विपत्रों आदि में पहले भुगतान किए गए मू.स. को जोड़ना इत्यादि, के मूल्य की गणना में गलत मानदंडों के अनुप्रयोग के कारण, संवेदकों को ₹ 3.98 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया था।

(कंडिका 2.1.4.2)

राशि की कमी के कारण दो प्रमंडलों के दो पथ कार्यों में, चलंत लेखा विपत्रों का आंशिक रूप से भुगतान किया गया था और प्रासंगिक महीनों में जिसके लिए मू.स. की गणना की गई थी, किए गए कार्य के वास्तविक मूल्य की गणना कमतर विपत्र पर की गई थी। कार्यपालक अभियंताओं द्वारा मू.स. की गलत गणना के कारण, इन दो प्रमंडलों में संवेदक के विपत्रों से ₹ 1.53 करोड़ का समायोजन नहीं किया जा सका।

(कंडिका 2.1.4.3)

तीन प्रमंडलों के पाँच कार्यों, जिसकी पूर्णता अवधि 12 महीने से कम थी, जनवरी 2004 की अधिसूचना में निर्देश होने के बावजूद इन कार्यों के अनुबंध में अलकतरा अंतर लागत का भुगतान/ वसूली से संबंधित कंडिका शामिल नहीं किये गए थे जिसके कारण कार्य. अभि. के द्वारा अलकतरा के अंतर लागत की गणना नहीं की गयी थी। परिणामस्वरूप, विभाग को ₹ 1.98 करोड़ की हानि सहन करनी पड़ी। वसूलनीय अलकतरा अंतर की लागत, प्रभावी अनुसूचित दर (एस.ओ.आर.) में दिए गए दर की तुलना में निष्पादित अवधि में अलकतरा के मूल्य में कमी के कारण थी।

(कंडिका 2.1.4.4)

झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) के द्वारा टैरिफ, बिलिंग, राजस्व संग्रहण और सब्सिडी प्रबंधन

झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जेएसईआरसी) के अध्यक्ष और सदस्य के पद जून 2020 से सितंबर 2022 तक रिक्त रहे, जिसके कारण वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बिजली टैरिफ की मंजूरी नहीं मिल सकी और कंपनी ₹ 514.08 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व की वसूली से वंचित रह गयी।

(कंडिका 2.2.8.1)

बिलिंग में विलंब करना, विलंबित बिलिंग के लिए उपभोक्ताओं को छूट प्रदान न करना; बिलिंग सॉफ्टवेयर में मीटरिंग विवरण अपडेट न होने के कारण प्रभावी उपभोक्ताओं की बिलिंग न होना और कम बिलिंग होना दर्शाता है कि बिलिंग की प्रणाली अकुशल थी। इसके अलावा बिजली की आपूर्ति में कटौती के कारण, नियत शुल्क की कम बिलिंग; खराब मीटर बदलने में देरी के कारण होने वाली हानि; स्ट्रीट लाइट उपभोक्ताओं की कम/ बिलिंग नहीं करना; उपभोक्ताओं से मीटर किराया की अनियमित वसूली; उपभोक्ताओं के ऊर्जा शुल्क का बिलिंग न होना; और नए विद्युत ऊर्जा कनेक्शन जारी करने में देरी आदि के मामले भी थे।

हालांकि वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी की समग्र संग्रहण दक्षता (बकाया और सरकारी सब्सिडी को छोड़कर) 38.34 और 52.51 प्रतिशत के बीच थी, लेकिन ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं के मामले में संग्रहण दक्षता कम थी और 8.54 से 14.68 प्रतिशत के बीच ही रही। वित्त वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान कंपनी की राजस्व वसूली, बेची गई ऊर्जा का केवल 86.42 से 92.27 प्रतिशत थी। वित्त वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान कंपनी का कुल तकनीकी और वाणिज्यिक घाटा (एटीएंडसी) 46.57 और 49.21 प्रतिशत के बीच था, जो बिना मीटर वाले कनेक्शनों के खिलाफ बढ़ी हुई खपत दर्शाने के कारण था, जबकि इसी अवधि के दौरान प्रतिवेदित एटीएंडसी घाटा 28.69 से 41.21 प्रतिशत के बीच था।

(कंडिका 2.2.7 और 2.2.9)

कंपनी ने अनियमित रूप से 'बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं' की श्रेणी को 'दोषपूर्ण मीटर वाले उपभोक्ताओं' में बदलकर अतिरिक्त सब्सिडी का दावा किया और जेएसईआरसी

विद्युत प्रदाय संहिता में दिए गए दोषपूर्ण मीटर से संबंधित बिलिंग के प्रावधानों को बिलिंग सॉफ्टवेयर में मैप नहीं किया।

(कंडिका 2.2.10.2)

कंपनी ₹ 234.01 करोड़ की बकाया राशि की वसूली नहीं कर सकी, क्योंकि समय पर सर्टिफिकेट केस दाखिल न करने के कारण वसूली कालबाधित हो गई थी। कंपनी उपभोक्ताओं से अतिरिक्त सुरक्षा राशि वसूलने में भी विफल रही।

(कंडिका 2.2.11.3)

कंपनी बिजली चोरी के मामलों में जुर्माने के आकलन में विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और जेएसईआरसी विद्युत आपूर्ति संहिता के प्रावधानों का पालन करने में विफल रही, जिसके कारण ₹ 5.74 करोड़ की राशि के राजस्व का नुकसान हुआ।

(कंडिका 2.2.12.2)

जी.एस.टी. भुगतान और दाखिल विवरणी पर विभाग की निगरानी

विभाग द्वारा विवरणियों की जाँच की समीक्षा और करदाताओं के अभिलेखों के सत्यापन के लिए जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक की अवधि और चयनित वाणिज्य कर अंचलों के कार्यों के लेखापरीक्षा के लिए जुलाई 2017 से मार्च 2021 तक की अवधि के लिए एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (वि.व.अ.ले.) आयोजित किया गया था और लेखापरीक्षा के दौरान सामने आए लेखापरीक्षा परिणाम इस प्रकार हैं।

कर के विलंबित भुगतान पर ₹ 236.88 करोड़ का ब्याज, 82,393 करदाताओं, जिन्होंने अपने विवरणियों को विलंब से दाखिल किए थे और परिणामस्वरूप कर देयता का भुगतान विलंब से किया था, से संग्रहित नहीं किया गया था।

(कंडिका 2.3.6.1)

विवरणियों की जाँच के लिए मैनुअल/एस.ओ.पी. और चयन के लिए जोखिम-आधारित दृष्टिकोण के अभाव में, विभाग द्वारा दाखिल किए गए कुल जी.एस.टी.आर.-3बी में से तीन प्रतिशत से भी कम की जाँच की गई थी।

(कंडिका 2.3.6.2)

विभाग को सूचित किए गए 27 मामलों में विचलन/विसंगतियों के लिए प्रारंभिक प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई, जो ₹ 30.89 करोड़ आवर्त के बेमेल के पाँच मामलों एवं ₹ 13.27 करोड़ की कर देयता/आई.टी.सी. के बेमेल के 22 मामलों को दर्शाता है।

(कंडिका 2.3.7.1)

विभाग ने 445 विचलनों में से 255 लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार कर लिया या मामलों में जाँच शुरू की, जो ₹ 7,056.79 करोड़ के आवर्त के बेमेल के 46 मामलों और ₹ 215.80 करोड़ के कर देयता/आई.टी.सी. के बेमेल के 209 मामलों में को दर्शाते हैं।

(कंडिका 2.3.7.4)

सभी 55 मामलों में सूक्ष्म अभिलेखों को आंशिक रूप से प्रस्तुत किए गए थे; परिणामस्वरूप ₹ 356.61 करोड़ के आई.टी.सी. के बेमेल/अतिरिक्त/अनियमित उपयोग और चुकाई नहीं गई देयता से संबंधित पहचाने गए जोखिमों की लेखापरीक्षा द्वारा विस्तार से जाँच नहीं की जा सकी।

(कंडिका 2.3.8.1)

लेखापरीक्षा किए गए 55 मामलों में से 29 में, करदाताओं ने या तो अपने विवरणियों को विलंब से दाखिल किए थे या गलती से अतिरिक्त आई.टी.सी. का उपयोग किया था, जिसे वापस कर दिया गया था, लेकिन विलंब से दाखिल किए गए विवरणियों या अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी पर ₹ 0.74 करोड़ की ब्याज भुगतान राशि का भुगतान नहीं किया गया।

(कंडिका 2.3.8.2)

सात सी.टी.सी. में 55 में से 17 मामलों में, ₹ 52.20 करोड़ रुपये का आई.टी.सी. वापस नहीं किया गया था, जहां वस्तु या सेवाओं या दोनों का उपयोग आंशिक रूप से शून्य-दर आपूर्ति सहित कर योग्य आपूर्ति को पूर्ण करने के लिए और आंशिक रूप से छूट वाली आपूर्ति को पूर्ण करने के लिए किया जाता है।

(कंडिका 2.3.8.2 तालिका 2.18 क्र.सं. 4)

16 सी.टी.सी. में 55 में से 50 मामलों में, जी.एस.टी.आर.-3बी/जी.एस.टी.आर.-9 के अन्तर्गत उपयोग किए गए आई.टी.सी. एवं जी.एस.टी.आर.-2ए के अनुसार उपलब्ध आई.टी.सी. की तुलना में ₹ 109.46 करोड़ के आई.टी.सी. बेमेल था।

(कंडिका 2.3.8.3 तालिका 2.18 क्र.सं.1)

12 सी.टी.सी. में 55 में से 36 मामलों में, जी.एस.टी.आर.-1 और जी.एस.टी.आर.-9 में दर्शाई गई अधिक राशि के आधार पर कर देयता एवं जीएसटीआर-3बी में दर्शाई गई वास्तविक भुगतान की तुलना करने पर ₹ 289.34 करोड़ की कर देयता के भुगतान में बेमेल था।

(कंडिका 2.3.8.4 तालिका 2.19 क्र.सं.1)

रद्द किए गए 34 करदाताओं को उसी पैन पर फिर से पंजीकरण प्रदान किया गया, जबकि पहले रद्द किए गए पंजीकरणों पर ₹ 95.36 लाख की देयता बकाया थी।

(कंडिका 2.3.9.2)

अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकार्यें

विभागीय निविदा समिति ने बोली दस्तावेज के नियमों और शर्तों के अनुसार, सबसे कम बोली लगाने वाले निविदाकार के अयोग्य घोषित होने के बाद, अगले सबसे कम बोली लगाने वाले को काम देने के बजाय निविदा रद्द कर दी। दूबारा बोली में काम अधिक कीमत पर दिया गया, जिससे सरकार पर ₹ 2.62 करोड़ का अतिरिक्त लागत बोझ पड़ा।

(कंडिका 3.1)

कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, चाईबासा ने (i) जलापूर्ति परियोजना से संबंधित अनुबंध के विखंडन के बाद बकाया राशि का प्रमाण पत्र (ii) तीन वर्ष से अधिक समय से ₹ 4.42 करोड़ के सरकारी बकाया की वसूली हेतु सर्टिफिकेट केस की कार्यवाही शुरू करना सुनिश्चित नहीं किया। इसके अलावा, वह आबादी जिसको उक्त जलापूर्ति परियोजना से लाभान्वित करने का उद्देश्य था, वह इसकी स्वीकृती के दस वर्षों से अधिक समय तक परियोजना के लाभों से वंचित रही।

(कंडिका 3.2)

महात्मा गांधी स्मारक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय (चिकित्सालय), जमशेदपुर ने अनुबंध के आधार पर मानव बल को काम पर रखा और अस्वीकार्य दुगुना पारिश्रमिक, उपस्थिति पत्रक से समर्थित कार्य दिवस के अतिरिक्त कार्य दिवस एवं कार्यादेश से अधिक मानव बल के भुगतान की अनुमति के कारण अभिकर्ताओं को कम से कम ₹ 2.67 करोड़ का अधिक भुगतान करना पड़ा।

(कंडिका 3.3)

कोयला आधारित ताप विद्युत् संयंत्र के संचालन शुरू होने के 10 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी विभाग ने पर्यावरण प्रबंधन कोष की स्थापना नहीं की। नतीजतन, यह संयंत्र स्थापित करने वाली कंपनी से परियोजना के आसपास तथा इसके अंदर के इलाकों में पर्यावरण सुधार के लिए कंपनी के योगदान के रूप में ₹ 82.40 करोड़ की वसूली करने में विफल रही। हालांकि इसके लिए समझौता जापन (एमओयू) में विभाग और कंपनी के बीच सहमति व्यक्त की गई थी।

(कंडिका 3.4)

मेसर्स तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के साथ कोयला आपूर्ति समझौता करते समय नई कोयला वितरण नीति के प्रावधानों के अनुसार प्रदर्शन प्रोत्साहन (पीआई) का भुगतान किए बिना वार्षिक अनुबंधित मात्रा तक कोयले की खरीद के संबंध में विचार करने में विफल रही। इसके अलावा, इसने कोयला आपूर्ति समझौते में प्रावधान होने के बावजूद, पीआई के प्रावधान को संशोधित करने के लिए कार्रवाई शुरू नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को ₹ नौ करोड़ का नुकसान हुआ।

(कंडिका 3.5)

4,486 परिवहन वाहनों के प्रमादी मालिकों से वसूले जाने योग्य ₹ 60.12 करोड़ का कर और जुर्माना जि.प.प. द्वारा उदग्रहण नहीं किया गया था।

(कंडिका 3.8)

एकमुश्त कर के दायरे में लाए गए 9,856 वाहनों के प्रमादी मालिकों से वसूली योग्य ₹ 26.30 करोड़ का एकमुश्त कर और जुर्माना जि.प.प. द्वारा उदग्रहण नहीं किया गया था। इसके अलावा, 392 निर्माण उपकरण वाहनों को 'माल वाहन' के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया, जिससे ₹ 4.42 करोड़ की राशि का एक मुश्त कर कम आरोपित हुआ।

(कंडिका 3.9)

1,359 वैयक्तिक वाहनों के पंजीकरण प्रमाण पत्रों को उनकी वैधता समाप्त होने के बाद भी नवीनीकृत नहीं किया गया, जिस के परिणामस्वरूप ₹ 6.27 करोड़ का पंजीकरण शुल्क, निरीक्षण शुल्क और हरित कर आरोपित नहीं हो सका।

(कंडिका 3.10)

6,853 परिवहन वाहनों के एक्सल भार में संशोधन न करने के कारण ₹ 5.70 करोड़ की राशि के कर का कम निर्धारण हुआ।

(कंडिका 3.11)

वाहन सॉफ्टवेयर में व्यावसायिक नियमों की मैपिंग में विलम्ब के कारण 2,633 वैयक्तिक वाहनों से ₹ 1.05 करोड़ के एकमुश्त कर का कम निर्धारण किया गया था।

(कंडिका 3.12)